शब्द–ब्रह्म
ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
17 जुलाई 2015
पीअर रीव्यूड रेफ्रीड रिसर्च जर्नल

पंचायतों में महिला जनप्रतिनिधियों की भागीदारी : एक विश्लेषण

डॉ. सुरेश काग
सहायक प्राध्यापक, राजनीति शास्त्र
शास.स्नातकोत्तर महाविद्यालय
सेंधवा, मध्यप्रदेश, भारत

शोध संक्षेप

भारतीय समाज का बुनियादी ढाँचा लोकतांत्रिक नहीं है। यह जन्मगत असमानता पर आधारित अनेक जातियों एवं उपजातियों में विभाजित है। इन सबमें अनुसूचित जातियां व महिलाओं की सामाजिक,आर्थिक स्थिति संतोषजनक नहीं हैं। वर्षों से महिलाएं सामाजिक रूप से शोषित एवं वंचित रही है इनके उपर अनेक सामाजिक एवं आर्थिक निर्योग्यताएं थोपी गई है। पंचायतीराज संस्थाओं में किए गए आरक्षण सम्बन्धी प्रावधानों से महिलाओं को भी राजनीति में प्रवेष का अवसर प्राप्त हुआ है। पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी से उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने की संभावनाएं प्रबल दिखाई देने लगी हैं।

प्रस्तावना

पंचायतें भारत की सांस्कृतिक पहचान हैं। अतीत में ग्राम पंचायतें अत्यंत प्रभावशाली थीं। उन्हें प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार प्राप्त थे। तत्कालीन राजा-महाराजाओं ने पंचायतों के कार्यों में प्रायः हस्तक्षेप नहीं किया बल्कि पंचायतों के निर्णयों को स्वीकार भी किया। आजादी के बाद भारतीय संविधान में स्त्री-पुरूष भेद जाति, धर्म, क्षेत्र आदि से परे सबको स्वतंत्रता और समानता का अधिकार प्रदान किया है। चूंकि अनुसूचित जाति, जनजाति के साथ महिलाएं भी सामाजिक रूप से शोषित रही हैं, अतः इन्हें संविधान द्वारा विशेष सुरक्षा प्रदान की गई है। पंचायतों की स्थापना के सम्बन्ध में संविधान में किए गए 73वें संशोधन के परिपालन में जनजातियों के साथ-साथ महिलाओं के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अतः पहली बार पंचायतों के तीनों स्तरों (ग्राम, जनपद, जिला) में महिलाओं की सहभागिता भी सुनिश्चित की गई है।

पूर्व में यदि देखा जाय तो राजनीति और प्रशासन का क्षेत्र महिलाओं के लिए वर्जित था। यद्यपि संविधान का अनुच्छेद-15 महिलाओं की और ध्यान देने पर बल देता है परन्तु सत्य तो यह है कि बीती शताब्दी के सातवें दशक तक इस दिशा में कम ही काम हुआ था। पंचायत राज स्थापना के बाद भी पंचायतों में महिलाओं हेतु कोई विशेष प्रावधान नहीं किये गए जबकि महिलाओं की स्थिति तत्कालीन समय में भी अत्यंत दयनीय थीं।

संविधान में उल्लिखित विभिन्न अधिनियमों एंव संशोधनों द्वारा पंचायतों के तीनों प्रारूपों (ग्राम,जनपद तथा जिला) का सामंजस्य स्थापित किया गया, लेकिन महिलाओं की भागीदारी सुनिचित करने हेतु कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। पंचायत राज संस्थाओं की इन दुर्बलताओं से भी अधिक गंभीर दुर्बलता यह थी कि इन संस्थाओं ने समाज के कमजोर वर्गों यथा- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एंव

महिलाओं को भागीदारी का समान अवसर नहीं दिया। 1993 के पूर्व इन वर्गों के एकाधिकार तथा सदस्यों का निर्वाचित अध्यक्षों द्वारा सहवरण किया जाता था जो मात्र औपचारिकता थी।

महिला जनप्रतिनिधियों की स्थिति

वर्तमान समय में राजनीति के क्षेत्र में आम महिलाओं की भागीदारी हेतु उचित प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। अभी तक पंचायतों कि सदस्या अथवा निर्वाचित उम्मीदवार प्रायः ग्रामीण और कस्बाई अभिजात्य परिवार सदस्याएं ही थीं। उन्हें अभिजात्य परिवार के पुरूषों की राजनीतिक पहुँच का लाभ मिला है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि ग्रामीण अंचलों में सामान्य तथा निम्न वर्गों की महिलाओं को भी आगे लाने का प्रयास किया जाय। सामाजिक,आर्थिक तथा राजनीतिक दबदबा रखने वाले अभिजात्य परिवार से रहा हो, फिर भी यह निर्विवाद है कि महिला उत्थान समता तथा राजनीतिक विकास की दृष्टि से पंचायत राज व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण मिलने से इस दिशा में क्रांति हुई है। प्रो.रोमा मुकर्जी द्वारा लगाए गए एक अनुमान के अनुसार पंचायतों के लिये चुनी जाने वाली महिला जनप्रतिधिनियों की संख्या लगभग नगण्य से बढ़कर दस लाख संभावित है। ग्राम पंचायत,जनपद पंचायत और जिला पंचायत में सभी स्तरों पर एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिये आरक्षित है। तीनों स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्ष पद के लिये एक तिहाई पद महिलाओं के लिये हैं। वर्तमान में देशभर में ग्राम पंचायतों की संख्या लगभग दो लाख पैंसठ हजार है। आबादी के अनुपात से एक पंचायत में पांच से चौदह तक पंच चुने जा सकेंगे। अगर हर पंचायत में औसतन दस पंचों का निर्वाचन हो तो कुल पंचों की संख्या लगभग साढ़े बाईस लाख होगी। इनमें यदि एक तिहाई महिलायें हो तो उनकी संख्या लगभग साढ़े सात लाख होगी। इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं को घर की चार दिवारी से बाहर निकालना, कानूनी चुनावी समर लड़ना और विजय होने पर विकासात्मक राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागी बनना महिला विकास, नारी प्रतिष्ठा और सामान्य क्रान्ति की दिशा में महत्व रखता है।

व्यावहारिक चुनौतियां

पंचायती राज व्यवास्था में आरक्षण के माध्यम से महिलाओं को राजनीति में प्रत्यक्ष भागीदारी का अवसर मिला है, किन्तु यह अवसर दिखावा मात्र होगा, भागीदारी सिर्फ कागजों तक ही सीमित होगी क्योंकि हमारा समाज मानसिक रूप से अभी तक अविसित है। महिला जनप्रतिनिधियों की व्यावहारिक चुनौतियाँ निम्न है-

1 सामाजिक रीति-रिवाज, स्थानीय रहन-सहन, प्रथाएं, परम्पराएं, पारिवारिक पृष्ठभूमि, परिवार के सदस्यों की अपेक्षाये एवं सहयोग आदि।

2 महिलाओं में शिक्षा व आत्मविश्वास की कमी होना।

3 सामाजिक जागरूकता की कमी होना

4 पंचायतों के अधिकारों और उत्तरदायित्व का ज्ञान न होना

5 महिला प्रतिनिधियों के अधिकारों का वास्तविक प्रयोग पति, भाई या पिता द्वारा निभाया जाना आदि कई कारण हैं जो उन्हें अपने कर्तव्यों के निर्वाहन में बाधा डालते हैं।

सुझाव एवं निष्कर्ष

स्वतन्त्रता के पश्चात् समाज के पिछड़े वर्गों की प्रथम व्यापक राजनीतिक भर्ती का यह क्रम अभी शुरू ही हुआ है। समाज के सभी वर्गों ने इस पंचायत राज व्यवस्था के क्रियान्वयन को

नजदीक से देखा एवं महसूस किया है। पंचायती राज व्यवस्था का आगे चलने वाला अबाध क्रम अब अधिक प्रतिस्पर्धापूर्ण हो गया है। आने वाले पंचायती राज चुनावों में अधिक योग्य एवं व्यवस्था को समझने वाला महिला नेतृत्व उभरकर सामने आयेगा। अब ग्रामीणों की सम्पूर्ण जिम्मेदारी पंचायती राज संस्थाओं पर आ गई है। महिलाओं को पंचायतों में प्रतिनिधित्व स्वस्थ लोकतांत्रिक परम्पराओं के मजबूतीकरण एवं अवसर की समानता जैसी अवधारणाओं को मूर्तरूप देने में सहायक सिध्द होगा। इसमें ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण सामाजिक समरसता जैसे मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने में पंचायती राज संस्थाएँ सफल हो सकेंगी। इन संस्थाओ में महिलाओं की समुचित भागीदारी के साथ ही समाज के उन पिछडे वर्गों को भी निश्चित ही लाभ मिलेगा जो वर्तमान समय में सामाजिक, आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं।

संदर्भ ग्रंथ

1. श्रीवास्तव सुधारानी, भारत में महिलाओं की संवैधानिक स्थिति, कामनवेल्थ पब्लिशर्स, दिल्ली-2010

2.कोठारी रजनी,पालिटिक्स इन इण्डिया, ओरिएंट लागमेंस, नई दिल्ली, 1990

3. डॉ.. निकुंज, प्रो. जे. के. जैन, पंचायती राज व्यवस्था एक दृष्टिकोण, निकुंज प्रकाशन, बड़वानी

4. ग्राम पंचायत अधिनियम संशोधन-1996 के अनुसार